संख्या-57/2025/3042/26-3-2024-1887738

प्रेषक,

रजनी कान्त पाण्डेय,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवामें,

निदेशक,
जनजाति विकास,
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 **लखनऊः दिनांकः 19 मार्च, 2025**

विषयः- एकीकृत जनजाति विकास परियोजना, चन्दनचौकी-खीरी में मिनी स्टेडियम तक लिंक रोड का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु संविधान के अनुच्छेद 275(1) के योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-273/ज0जा0वि0/275(1)/2024-25 दिनांक 27.12.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024-25 में संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत जनजातियों के कल्याण हेतु विभिन्न निर्माण कार्य तथा जिला इकाईयों के संचालन अन्तर्गत एकीकृत जनजाति विकास परियोजना, चन्दनचौकी-खीरी में मिनी स्टेडियम तक लिंक रोड का निर्माण कार्य हेतु धनराशि रू0-31.12 लाख (रूपये इकत्तीस लाख बारह हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने व कार्यदायी संस्था नामित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में जनजातीय बाहुल्य ग्रामों के सर्वांगीण विकास/जिला इकाईयों के संचालन व अन्य कार्यों हेतु अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक-4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0104-संविधान के अनुच्छेद 275(1)के अन्तर्गत जनजातियों के कल्याण हेतु विभिन्न निर्माण कार्य तथा जिला इकाईयों के निर्माण हेतु अनुदान (के0-100 प्रतिशत/राज्यांश-0)-24-वृहद निर्माण मद के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 4000.00 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0-1353.63 लाख में से उक्त कार्य के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था यू0पी0 सिडको को नामित करते हुए धनराशि रू0-31.12 लाख (रूपये इकत्तीस लाख बारह हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति पर श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) निदेशक, जनजाति विकास द्वारा कार्यदायी संस्था यू0पी0स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 (यू0पी0सिडको) के प्रबन्ध निदेशक से शीघ्र एम0ओ0यू0 अनुबन्ध कराकर धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था को दी जायेगी, जिसका अधिष्ठान व्यय वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दर के अनुसार ही लिया जायेगा। कार्यदायी संस्था को धनराशि प्राप्त होने के तुरन्त बाद शीघ्र निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। प्रायोजना के निर्माण में बिना समुचित कारण के यदि अनावश्यक रूप से विलम्ब होने से लागत में वृद्धि होती है, तो इसके लिये निर्माण एजेन्सी उत्तरदायी होगी।

(2) प्रश्नगत कार्यों की निविदा में ई-टेन्डरिंग की प्रक्रिया लागू की जायेगी। ई-टेन्डरिंग प्रक्रिया में आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 के शासनादेश सं0 3/2017/1067/78-2-

2017-42 आईटी/2017, दिनांक 12.05.2017 एवं समय-समय पर निर्गत शासन के अन्य आदेशों/निर्देशों में निहित शर्तों एवं प्राविधानों का अनुपालन पूर्णतया सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) परियोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत करा लिया जायेगा तथा नियमानुसार विभिन्न संस्थाओं से समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स एवं सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जायेगा एवं अन्य सम्बन्धित संस्थाओ /विभागों/प्राधिकरणों आदि से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के साथ-साथ वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर के तकनीकी स्वीकृति के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा तथा उस पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही प्रायोजना के निर्माण हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(5) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04-03-2024 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत की सीमान्तर्गत ही कराया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/चार्जेज नही दिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(6) प्रायोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 भुगतान के सम्बन्ध में प्रामाणिक प्रपत्र –जी0एस0टी0 इन्वायस एवं धनराशि के भुगतान का पूर्ण प्रमाणित विवरण सक्षम स्तर से निदेशक जनजाति विकास के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबरसेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा ।

(7) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) निदेशक, जनजाति विकास विभाग द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04-03-2024 एवं दिनांक 19.06.2024 में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी तथा कार्यदायी संस्था द्वारा प्राप्त धनराशि का 75 प्रतिशत उपयोग करने के उपरान्त अगले 06 माह के लिये पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित कर दी जायेगी। इसका अनुपालन निदेशक, जनजाति विकास द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

(9) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(10) परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (**VII**) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(11) परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(12) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(13) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन निदेशक, जनजाति विकास एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) प्रायोजना में स्वीकृत कार्यों/लागत से विचलन की दशा में वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-बी-2-2528/दस-2014-10/77 दिनांक 26 अगस्त 2014 में अंकित प्राविधानों के अनुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(15) स्वीकृत की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को कार्य की आवश्यकता एवं कराये गये कार्य की गुणवत्ता के अनुसार सम्यक् परीक्षण करने के पश्चात ही अवमुक्त की जाय तथा अवमुक्त की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(16) प्रायोजना में स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं निदेशक, जनजाति विकास द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था, निदेशक, जनजाति विकास विभाग एवं जनपदीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष टेण्डर लागत के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स आदि सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(17) स्वीकृत की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को कार्य की आवश्यकता एवं कराये गये कार्य की गुणवत्ता के अनुसार सम्यक् परीक्षण करने के पश्चात ही अवमुक्त की जाय तथा अवमुक्त की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(18) कार्य की विशिष्टियाँ, मानक एवं गुणवत्ता आदि की पूर्ण जिम्मेदारी निदेशक, जनजाति विकास एवं कार्यदायी संस्था की होगी तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाय। इसके लिए परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017, दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा प्रायोजना का पर्ट/सी0पी0एम0 चार्ट कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को शीघ्र उपलब्ध कराया जाय।

(19) प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व भूमि की वैधानिक उपलब्धता सुनिश्चित करा ली जायेगी तथा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(20) प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना विषयक भारत सरकार की गाइडलाइन्स एवं दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(21) प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/श्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(22) योजनान्तर्गत बाटआउटस आइटम्स की श्रेणी से आच्छादित कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था को कोई भी सेन्टेज चार्ज देय नहीं होगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये- 31,12,000 /- (रूपये इकत्तीस लाख बारह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या0-81 लेखाशीर्षक 4225-02-796-01-0104- संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत जनजातियों के कल्याण हेतु विभिन्न निर्माण कार्य तथा जिला इकाइयों के निर्माण हेतु अनुदान (के.100/रा.0-के.) के मानक मद 24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न यू0ओ0 संख्या- E-4-181-X-2024-25 दिनांक 29-01-2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Signed by

Rajani Kant Pandey

(रजनी कान्त पाण्डेय)
उप सचिव

Date: 19-03-2025 14:30:46

पृ0 संख्या एवं दिनांक तदेव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)प्रथम एंव द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
5- जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी ।
6- जिला समाज कल्याण अधिकारी, लखीमपुर खीरी।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
8- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
9- प्रबंध निदेशक, यू0पी0 सिडको, लखनऊ।
10- निदेशक, एन0आई0सी0।
11- गार्डफाइल

(रजनी कान्त पाण्डेय)
उप सचिव